

प्रेषक,
श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: ७ सितम्बर, 2012


विषय: नागर निकाय कार्मिकों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि निकाय कर्मियों द्वारा सेवाकाल में शासकीय धन के दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितता किये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही समयान्तर्गत संस्थित नहीं हो पाती है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त सी.एस.आर. के अनुच्छेद 351A में सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है, वशर्त अनियमितता सेवानिवृत्ति की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पुरानी भी न हो। प्रकरण में उक्त समयावधि से उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही न हो पाने से शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं हो पाती है।

2 अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकाय कर्मियों के विरुद्ध जांच प्रकरण में तत्परतापूर्वक समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विभागीय कार्यवाही के समापन के उपरान्त यदि प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य सृजित होना प्रतीत होता है, तो उस दशा में उत्तरदायी कार्मिक के विरुद्ध शासनादेश संख्या-13/2/2012/का-2012, दिनांक 24 मई, 2012 (प्रति संलग्नक) में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अभियोजना की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

3. मुझे यह भी कहना है कि उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही में शिथिलता पाये जाने पर शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध संगत प्रभावी नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जाय एवं आवश्यकतानुसार ऐसे प्रकरण शासन को समय से कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किये जाय।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2646 (1)/9-1-12, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र., / जिलाधिकारी / नगर आयुक्त।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्धक निदेशक, जल निगम, उ.प्र., राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, ऐशबाग, लखनऊ।
5. नगर विकास अनुभाग-2/3/4/5/6/7/8/9 एवं सूडा अनुभाग।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,



(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।